

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/4195

भोपाल, दिनांक 06-08-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:-जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली के पत्र क्रं. 8-16/2023-FC दिनांक 08.03.2024

—0—

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई (v) बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-


S.	Conditions	Compliance																					
i	In order to have actual assessment of the no. of trees involved in the project, the species wise and girth class wise complete enumeration of the trees falling in proposed diversion area as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	<p>प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना वास्तविक आधार पर की गई है। केवल वनमण्डल नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट डालकर की गयी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्रं.</th><th>वनमण्डल</th><th>प्रभावित वृक्षों की संख्या</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>उत्तर बैतूल</td><td>17781</td></tr><tr><td>2</td><td>हरदा</td><td>296730</td></tr><tr><td>3</td><td>होशंगाबाद</td><td>204288</td></tr><tr><td>4</td><td>खण्डवा</td><td>1537</td></tr><tr><td>5</td><td>पश्चिम बैतूल</td><td>466</td></tr><tr><td colspan="2">कुल</td><td>520802</td></tr></tbody></table> <p>प्रकरण मे यह भी लेख है, कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.12.2023 से जारी गाईडलाइन के बिन्दु क्र. 1.4 (vi) में यह प्रावधानित किया है कि 10 हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य आयोजना के अनुसार की जा सकती है। वनमण्डल नर्मदापुरम में सेम्पल प्लाट डालकर की गई वृक्षों की गणना को मान्य करने का अनुरोध है।</p>	क्रं.	वनमण्डल	प्रभावित वृक्षों की संख्या	1	उत्तर बैतूल	17781	2	हरदा	296730	3	होशंगाबाद	204288	4	खण्डवा	1537	5	पश्चिम बैतूल	466	कुल		520802
क्रं.	वनमण्डल	प्रभावित वृक्षों की संख्या																					
1	उत्तर बैतूल	17781																					
2	हरदा	296730																					
3	होशंगाबाद	204288																					
4	खण्डवा	1537																					
5	पश्चिम बैतूल	466																					
कुल		520802																					

ii	The study of the possible impacts of the project on the Biodiversity and Wildlife by Wildlife Institute of India along with the specific recommendation from the CWLW and State Govt. as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	<p>इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है, कि भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाईड लाईन दिनांक 29.12.2023 के अध्याय-1 के बिन्दु क्रमांक 1.22 अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात् वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर राशि जमा की जा सकती है, एवं परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा कर भी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सक्षम संस्थाओं को लेख किया गया है। साथ ही परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा करने की सहमति देते हुए वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।</p>
iii	The recommendations/comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the instant proposal as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	<p>इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है, कि बिन्दु क्रमांक-2 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण कर ली जावेगी।</p> <p>परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक WL/MP/IRRIG/452403/2023 आनलाईन किया गया है जिसकी कार्यवाही सामान्तर रूप से प्रचलित है।</p>
iv	Necessary action as per rules to seek the requisite recommendations of NBWL/SBWL as requested has not been taken by the State Govt. which needs submission.	<p>इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है, कि बिन्दु क्रमांक-2 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण कर प्रस्तुत कर दी जावेगी।</p>
v	The complete CA scheme, along with relevant documents, revenue record, maps and KML files for the total non-forest land proposal for Compensatory Afforestation and to ensure that the proposed area is free from all encumbrances as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	<p>प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जिला सागर में 1457.46 हे०, जिला आगर मालवा में 275.28 हे०, जिला जबलपुर में 170.00 हे० एवं जिला बैतूल में 386.469 हे० इस प्रकार कुल 2289.209 हे० गैर वनभूमि उपलब्ध करायी है।</p> <p>प्रकरण में आज दिनांक तक जिला जबलपुर की 170.00 हे०, जिला आगर मालवा की 212.420 हे० एवं जिला सागर की 668.28 हे० इस प्रकार कुल 1050.70 हे० गैर वनभूमि की वृक्षारोपण योजना तैयार कर ली गयी है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।</p> <p>आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन दिनांक 29.12.2023 के बिन्दु क्रमांक-11 (10) के अनुसार 1000 हेक्टेयर से अधिक के प्रस्तावों में चरणों में भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने का प्रावधान</p>

	है। साथ ही गाइड लाइन के अध्याय 9 के बिन्दु क्रमांक 9.1 अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना प्रस्ताव के विभिन्न चरणों में चाही गई वनभूमि के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। (छायाप्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।)
--	---

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।



(एच.एस.मोहन्ता)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6-8-24

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/4196
प्रतिलिपि:—

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद/वृत्त खण्डवा/वृत्त बैतूल/वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा/होशंगाबाद/खण्डवा/उत्तर बैतूल/पश्चिम बैतूल/जबलपुर/शाजापुर, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, P10.
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.: 07570299010

ई-मेल: piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 796

सिवनी मालवा, दिनांक 2/8/24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध)

वन भवन, सी ब्लॉक, द्वितीय तल, न्दिक रोड नं. 2, तुलसी नगर,

भोपाल (म.प्र.)

विषय: जिला नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में 2250.05 हेक्टे. वन भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत। (वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ: 1. आपका पत्र क्र. / एफ-3/16/2018/10-11/1512, दिनांक 11.03.2024

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023-FC

दिनांक 08.03.2024

-----00-----

उपरोक्त संदर्भित में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने जिला होशंगाबाद, बैतूल हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि के व्यवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (V) बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है।

भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार वांछित अतिरिक्त (V) बिन्दुओं की जानकारी का पालन प्रतिवेदन एवं वस्तुस्थिति सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए आपकी ओर सादर प्रेषित है।

अतः निवेदन है कि परियोजना की वस्तुस्थिति एवं स्पष्टीकरण वन विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन Forest Consolidated Guidelines and clarifications issued under VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980 and Van (sanrakshak Evam Samvardhan) Rules, 2023, दिनांक 29/12/2023 के आधार पर अग्रिम कार्यवाही के लिए भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्न - पालन प्रतिवेदन एवं संबंधित अनुलग्नक।

आर.एल.बावरिया

परियोजना प्रशासक,

मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

सिवनी मालवा, दिनांक 2/8/24

पत्र क्र. 797

प्रतिलिपि: 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम, वृत्त खंडवा/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल होशंगाबाद/हरदा/उत्तर बैतूल/पश्चिम बैतूल/खंडवा/जबलपुर, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आर.एल.बावरिया

परियोजना प्रशासक

मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

**Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project
Compliance Report**

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

S No.	DESCRIPTION OF SHORTCOMINGS OBSERVED	REPLY OF SHORTCOMING OBSERVED
1	<p>In order to have actual assessment of the no. of trees involved in the project, the species wise and girth class wise complete enumeration of the trees falling in proposed diversion area as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.</p>	<p>भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन दिनांक 29/12/2023 के बिंदु क्र.1.4 (Vi) में यह प्रावधानित किया है, कि 10 हेक्ट. से अधिक के प्रस्तावों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य योजना के अनुसार की जा सकती है। अतः प्रस्ताव में सेम्पल प्लाट की गणना या कार्य योजना में कक्ष वार अंकित वृक्षों के आधार पर दिए जाने का अनुरोध है।</p> <p>कुल आवेदित 2250.05 हेक्ट. में वनमंडल उत्तर बैतूल में 188.89 हे. में 17781, पश्चिम बैतूल 34.46 हे. में 465, हरदा 809.09 हे. में 296730, खंडवा 2.19 हे. में 1537, में वास्तविक वृक्षों की गणना कार्य सम्पादित किया गया है, एवं नर्मदापुरम वनमंडल में प्रस्तावित वन क्षेत्र 1215.42 हेक्ट. में अनुपातिक 204288 वृक्ष अपलोड किए हैं, इस प्रकार कुल वृक्षों की संख्या 520802 परिवेश पोर्टल के भाग -2 में अपलोड की गयी।</p>
2	<p>The study of the possible impacts of the project on the Biodiversity and Wildlife by Wildlife Institute of India along with the specie recommendation from the CWLW and State Govt. as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.</p>	<p>वन समेकित दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, दिनांक 29.12.2023, के पृष्ठ संख्या 47 बिंदु संख्या 1.22, अनुसार सैधान्तिक स्वीकृति के उपरांत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर राशि जमा की जा सकती है एवं परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा कर भी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>प्रस्ताव में प्रभावित वन क्षेत्र की वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सक्षम संस्थाओ जैसे IIFM, WII, WCT, WWFN आदि को लेख किया गया है। इन संस्थाओ से सहमति प्राप्त होने पर किसी एक संस्था से यह कार्य करवाया जावेगा।</p> <p>भारत सरकार के परिपत्र दिनांक के अनुसार आवेदक संस्था परियोजना लागत की 2% राशि जमा करने हेतु भी सहमत है। विभाग द्वारा वचनपत्र पत्र क्र 1200, दिनांक 29.09.2023 को वन विभाग को प्रेषित किया गया।</p> <p>(अनुलग्नक - 1)</p>
3	<p>The recommendations/ Comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the instant proposal as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.</p>	<p>बिंदु क्र. 2 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात पूर्ण कर ली जावेगी।</p> <p>जहां यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृति हेतु ऑनलाइन प्रकरण प्रदत्त किया जा चुका है, जिसका ऑनलाइन प्रकरण क्र. WL/MP/IRRIG/452403/2023 है। इस प्रस्ताव पर सामान्तर रूप से कार्यवाही प्रचलित है।</p>

**Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project
Compliance Report**

MoEF File No. 8-16/2023-FC

Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018

4	Necessary action as per rules to seek the requisite recommendations of NBWL/ SBWL as requested has not been taken by the State Govt. which needs submission.	बिंदु क्र. 3 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात पूर्ण कर ली जावेगी।
5	The complete CA scheme, along with relevant documents, revenue record, maps and KML files for the total non-forest land proposal for Compensatory Afforestation and to ensure that the proposed area is free from all Encumbrances as requested has not been submitted by the State Govt. Which needs submission.	<p>परियोजना समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन संबंधित जिलाधीश द्वारा जिला सागर में 1457.46 हेक्ट., जिला आगर मालवा में 275.28 हेक्ट., जिला जबलपुर में 170 हेक्ट. एवं जिला बैतूल में 386.469 हेक्ट. कुल गैर वनभूमि 2289.209 हेक्ट. का आवंटन किया गया है। जिसमे से आज दिनांक 25.02.2024 तक जबलपुर की 170 हेक्ट., सागर की 463.28 हेक्ट. एवं आगर मालवा की 212.420 हेक्ट. कुल 845.7 हेक्ट.की वृक्षारोपण योजना तैयार की जा चुकी है।</p> <p>यह बिंदु वन विभाग से सम्बंधित है। यहाँ यह भी उल्लेखित है कि भारत सरकार द्वारा जारी नियमों दिनांक 29/12/2023 के बिंदु क्र. 11 (10) के अनुसार 1000 हेक्ट. से अधिक के प्रस्तावों में चरणों में भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के प्रावधान है। वन समेकित दिशानिर्देश और वन विभाग द्वारा जारी नियमों दिनांक 29/12/2023 के पृष्ठ संख्या 95 पर बिंदु क्र. 9.1 के अनुसार चरण वार स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के प्रावधान है। प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रभावित गैर वन भूमि सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात परियोजना समतुल्य प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि चरण वार वन विभाग को सौंपी जावेगी। जिसमे परियोजना निर्माण हेतु प्रथम चरण में 116.27 हेक्ट. वन भूमि की आवश्यकता है, जिसके एवज में जबलपुर की 170 हेक्ट. वृक्षारोपण योजना तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।</p>


आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,

मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.: 07570299010

ई-मेल:-piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 11.09.....

सिवनी मालवा, दिनांक 29/09/23

वचन पत्र

(जीवों और वन्यजीवों के संरक्षण हेतु)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मोरंड गंजाल बांध और दबावयुक्त पाइप सिंचाई परियोजना के लिए परिवर्तित क्षेत्र के वन्यजीव संरक्षण योजना के लिए आवेदन वन स्वीकृति चरण - 1 के पश्चात् किया जावेगा एवं वन्य प्राणी संरक्षण के नियमों एवं शर्तों का निर्वहन हमारे विभाग द्वारा करने हेतु वचनबद्ध है।


(आर.एल.भवरिया)

परियोजना प्रशासक

मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म० प्र०) - 482 001

क्रमांक/व्यय०/ 67

आदेश

जबलपुर दिनांक 9/10/2023

जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे० वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र० एफ-3/16/2018/10-11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा० वनमण्डल, जबलपुर के पत्र क्र०/मा०चि०/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एवं व० म० अ० जबलपुर द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म०प्र० शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र०/1194/191/2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म०प्र० बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग-2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

योजना का नाम	परिक्षेत्र	डीट	कक्ष क्र०	रकवा (हे० में)	अवधि	अनुमानित राशि (रुपये में)
मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण	कुण्डम	ददरगवा	RF 340	40.00	2025-2026 से 2035-36 तक	2,18,56,417.00
		ददरगवा	RF 340	30.00		1,62,16,700.00
		बारतौरी	O-587, RF-296	40.00		2,19,23,761.00
		डबरा	RF-311	25.00		1,44,50,336.00
		बधराजी	O-593	35.00		2,03,39,046.00
		योग		170.00		9,47,86,260.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत करायें। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावे।
- (2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।
- (4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें।
- (5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी०पी०आर० तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा०व०से०)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM
09-10-23
P. L. S.

पृ0क्रमांक/मा0चि0

6713

जबलपुर, दिनांक 9/10/2023

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र0 /मा0चि0 /1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

10/10/23

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/13

उज्जैन, दिनांक 08-02-2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29-01-2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा निम्नानुसार देशों से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरखा की 83.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधोपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. में से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	आवंटित रकबा	सर्वे नम्बर	वैकल्पिक वृक्षा. रोपण योजना रकबा	रोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	सुसनेर	गरखा	93.380	292/2, 304/1, 304/3, 305, 308, 309, 310, 311	78.380	23.380	37000	21193400
2				219	15.000	10.000	15000	10315448
3	सुसनेर	बीड	85.060	315	4.000	2.000	2000	4135808
4		माधोपुर		190, 192, 193, 199, 213, 215	38.250	21.000	33000	17628413
5				151, 158, 160,	19.090	10.000	16000	11238128
6				34, 35	20.720	10.000	16000	11301378
7				16	3.000	1.000	1000	1541984
8	सुसनेर	डोंगरगांव	33.980	461 to 467	33.980	20.000	32000	16086488
		महायोग	212.420		212.420	97.380	152000	93441047

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पोवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दर निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र/डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018/10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।

- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इन्द्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण गूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रांतेकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
- 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
- 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 24) परियोजना में आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।
- 25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)

मा.व.से.

वन संरक्षक

उज्जैन वृत्त उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707/A

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल राजापुर की ओर उनके पत्र क्र./माचि/2024/420 दिनांक 29-01-2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक

उज्जैन वृत्त उज्जैन

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

उज्जैन, दिनांक 08.02.2024

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/14

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29-01-2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशों से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधौपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. में से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं में स्थल उपयुक्तता अनुसार 152000 पौधों का रोपण प्रस्तावित किया गया है। शेष 60420 पौधों के रोपण हेतु अन्य बिगड़े वनक्षेत्र में निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्र.	प्रस्तावित रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	आगर	श्यामगढ़	पी-13	30.00	15000	11400876
2		बाजना	पी-22	25.00	12000	9597039
3		महुडिया	पी-14	36.00	33420	15983295
योग :-				91.00	60420	36981210

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रं./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
- 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
- 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 24) परियोजना में आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।
- 25) उपरोक्त प्राकलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राकलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)

भा.व.से.

वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707B

उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर को ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29-01-2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/41

// आदेश //

सागर दिनांक 06/05/2024

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./784 दिनांक 27/05/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्टर वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा हरतांतरित परिक्षेत्र सागर के निम्नांकित खसरो की रकवा 55.00 हेक्टर गैरवनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रूपये 29458469/- की 11 वर्षीय कुल 02 प्राक्कलन (वर्ष 2026-27 से 2036-37 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	प.ह.नं.	खसरा न.	रकवा है. में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018)	सागर	खमकुआ	61	6	30.00	15533595
2					61	9/1	25.00	13924874
						Total	55.00	29458469

1. मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
7. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते हैं तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावे, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में कुचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यो (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंताना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्यो) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।
19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू-जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्यो के अंतर्गत बोल्टर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टैंक, भू-जल संरक्षण संरचानाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।
उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-SS...2... के अनुक्रमांक 10...पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/956
प्रतिलिपि :-

सागर दिनांक : 7.16.2024

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./784 दिनांक 27/05/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

सागर दिनांक : 22/06/2024

क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2024 / 46

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./1037 दिनांक 27/06/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्ट वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा हस्तांतरित परिक्षेत्र गौरझामर के निम्नांकित खसरों की रकवा 150.00 हेक्ट गैरवनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रूपये 170739068/- की 11 वर्षीय कुल 02 प्राक्कलन (वर्ष 2026-27 से 2036-37 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा न.	रकवा है.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018)	गौरझामर	जैतपुर कछया	571/1	15	21721930
2				जैतपुर कछया	571/1	35	38469759
3				डोंगरसलैया	181	70	74141611
4				डोंगरसलैया	181	30	36405768
					Total	150	170739068

- मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
- कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
- वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावे, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में कुचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्य (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.वी. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्य) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।
19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू-जल संरक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत बोल्टर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टैंक, भू-जल संरक्षण संरचनाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।
उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-SS..... के अनुक्रमांक 1.2 पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/1091
प्रतिलिपि :-

सागर दिनांक : 28.1.6.2024

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1037 दिनांक 27/06/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/23

सागर दिनांक : 05/03/2024

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./342 दिनांक 01/03/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/20118) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्टर वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा परिक्षेत्र केराली के निम्नांकित खसरों की रकवा 463.238 हेक्टर वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रुपये 456542663/- की 11 वर्षीय कुल 12 प्राक्कलन (वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	खसरा न.	रकवा है.में	राशि (रुपये में)
1	2	3	4	6	7	8
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/20118)	केराली	20, 21, 232, 246	108.050	100044585
2				3	21.600	24791362
3				109	11.300	16034260
4				21, 22, 24	32.930	34603705
5				72	18.100	20543355
6				24, 84/1	42.000	42494377
7				402/1	30.100	29175042
8				444, 447	26.600	27899617
9				336	14.540	17551957
10				673	41.560	39579099
11				103	100.00	84499829
12				234/1	16.500	19325475
				Total	463.28	456542663

1. मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
7. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते हैं तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावे, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में कुचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यों (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लैंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्यों) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू-जल संरक्षण कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत बोल्टर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टैंक, भू-जल संरक्षण संरचनाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।
उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-SS...1..... के अनुक्रमांक 5.....पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

सागर दिनांक 06/03/2024

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/ 461
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./342 दिनांक 01/03/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

CHAPTER-9

IRRIGATION AND HYDRO-ELECTRIC PROJECTS, INCLUDING
CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN

9.1. Proposals for diversion of forest lands falling within an irrigation / hydroelectric project need to be processed in their entirety to avoid creation of *fait accompli* situations. However, keeping in view the long gestation period for such projects, user agency may split such projects into different phases for valid and cogent reasons. State Govt. while submitting proposals to obtain "in principle" approval of Central Government under the Act for diversion of the entire forest land required for the project, may intimate the extent of forest land required and time schedule for execution of its each phase as may be specified by them, and may request the Central Government to consider grant of 'final' approval under the Act in phased manner. In such cases, at the time of submission of the proposal, scheme for compensatory afforestation for the forest land required for execution of initial phases, consisting of *inter-alia* the dam, reservoir and main canals originating from the reservoir as indicated by the State Government may only insisted upon. The Regional Empowered Committee while examining such proposals shall stipulate time schedule for transfer and mutation of non-forest land and funds for creation of Compensatory Afforestation in lieu of the forest land required for execution of remaining phases in favour of the State Forest Department so as to ensure that expenditure incurred on initial phases of the project does not become infructuous.

9.2. Catchment Area Treatment (CAT) plans: A proposal for diversion of forest land for Irrigation/Hydro-electric projects shall invariably be accompanied by detailed CAT plan except in respect of small hydel projects (maximum up to 10 MW capacity), which are either canal head or run-of the river projects and do not involve impounding of water/submergence of forest land.

The CAT Plan is an important and essential plan for enhancing and maintaining the ecological health of the catchment area of the proposed irrigation/hydroelectric project through site-specific biological and engineering measures for conservation of soil & moisture and management of water regime. Among other provisions, the measures should focus on arresting soil erosion, improving effective drainage in the area, and rejuvenation of the degraded eco system in the catchment. Following general principals should be kept in view while formulating CAT plans.

- (i) In the dense forest areas major concentration should be on soil & water conservation including water harvesting for which various water harvesting structures like check dams, gully plugging, gabion dams, contour trenches and vegetative structures should be made.
- (ii) In the open forest areas besides taking up soil & water conservation measures, plantation of local indigenous tree and shrub species, including rare medicinal plants, should be done. In higher altitudes plantation of chir pine should be avoided.
- (iii) The CAT plan should include a component of fodder development on the civil soyam forest or on revenue/private lands in order to meet the requirement of fodder/small timber/fire wood for the local population with a view to reduce pressure on the forests.

Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.

(8) The final order of dereservation under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, wherever accorded, shall be published in the official Gazette by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land;

(9) The whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.

(10) Where compliance of condition imposed in the 'In-principle' approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the 'In-Principle' approval shall be deemed to be null and void:

Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where 'In-Principle' approval has been obtained, may consider grant of phase-wise 'Final' approval by the competent authority subject to compliance in respect of-

(a) payment of compensatory levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and

(b) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.

(11) After issue of final approval under sub-rule (7) and Gazette notification under sub-rule (8) the forest land concerned may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration.

(12) The Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting 'In-Principle' approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during 'In-Principle' approval and upload the monitoring report in the online portal.

(13) The entire process for processing the proposals by the various authorities in the State shall be completed within the time limit specified in **Schedule-I** appended to these rules.

12. Proposal seeking prior approval of Central Government for working plan.-

(1) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government.

(2) The draft Working Plan shall include, *inter alia*, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon.

(3) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the Regional Office concerned for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests and the Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord approval along with modification